न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 134/2015

1 रामलाल दत्तक पुत्र रामचन्द्र।
2 मुलचन्द पुत्र फुलाराम।
3 पूर्णमल पुत्र फुलाराम।
4 रूकमा बेवा रामचन्द्र।
5 दुर्गाप्रसाद पुत्र जगनराम।
6 भवानी सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भगवाना पुत्र नारायण।
2 महावीर पुत्र नारायण समस्त जाति जाट निवासीगण शिश्यू रामनगर के सामने तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 पटवारी हल्का शिश्यू।
4 उप पंजियक पलसाना जिला सीकर।
5 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश एवं निर्णय दिनांक 10.11.2015
उनवानी रामलाल वगैरह बनाम भगवाना वगैरह मुकदमा
नम्बर 41/2015 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय
सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बनवारीलाल बरबड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 15.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 41/2015 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.एक्ट पेश किया गया था। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 06.07.2015 को प्रार्थीगण के हक में स्थगन जारी कर आगामी तिथि 08.07.2015 नियत की गई थी। नियत दिनांक तक नोटिस जारी नही करने पर आगामी तिथि 21.09.2015 नियत की गई। नियत दिनांक को रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपस्थित होकर हुये। दिनांक 01.10.2015 को आवेदन प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया। अपीलांट को जवाब हेतु समय दिया गया। अपीलांट ने दिनांक 12.10.2015 को जवाब पेश किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.10.2015 को बहस सुनी गई। विचारण न्यायालय दिनांक 10.11. 2015 को आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 06.07.2015 को स्थगन एक पक्षीय बाबत भूमि खसरा नम्बर 2768,27692770,2777,2778,2779,2780,2785 कुल किता 8 कुल रकबा 3.00 हैक्टेयर तन ग्राम शिश्यु तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के बाबत पारित किया गया तथा अगली तिथि 08.07.2015 नियत की गई जो कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अव्यवहारिक थी क्योंकि 08.07.2015 तक तो पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर ही आर्डरशीट व नोटिसों पर नहीं हुई इसलिए नोटिस जारी की नहीं हो सके थे। इसलिए रजिस्ट्री द्वारा तामिल होने का प्रश्न ही पैदा नही होता था तदुपरान्त अगली ही पेशी पर अप्रार्थी भगवाना हाजिर आ गये तो स्वतः ही न्यायालय के आदेशों की पालना हो गई थी। विचारण न्यायालय ने 39(4) सीपीसी के आवेदन के निर्णय में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है कि पूर्व आदेश 06.07.2015 को वैकेट किया गया है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण एवं न्यायिक माइंड अप्लाई करना आवश्यक होता है किन्तु विचारण न्यायालय ने ऐसा नहीं करके कानूनी भूल की है। अत अपीलांट ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 06.07.2015 में यह आदेश दिया गया था कि आदेश 39 नियम 3(क) की पालना समय पर नही करने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही वैकेट हो जायेगा। अपीलांट द्वारा आदेश 39 नियम 3क की पालना नही की गई। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर धारा 212 का अन्तिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर